कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2012 / 430 दिनांक :: 30 नवम्बर, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को अपरान्ह 4.30 बजे श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 23 नवम्बर, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में गत बैठक दिनांक 23 नवम्बर, 2012 का जारी कार्यवाही विवरण बैठक में अनुमोदन हेतु बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: सुगम यातायात के संबंध में अनुमोदित कार्य योजना के कियान्वयन के संबंध में।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2012 में विभिन्न विभागें को दिये गये निर्देशों की पालना की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निविदा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है और 48 कार्यो के लिए कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार निदेशक–अभियांत्रिकी, प्राधिकरण ने बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गौरव पथ, पावटा से जालौरीगेट चौराहा तक की सडक एवं अन्य चिन्हित सडक मार्गों का आवश्यक नवीनीकरण के लिए निविदा प्रकिया प्रारम्भ कर दी है।

विचार विमर्श के उपरान्त निर्देश प्रदान किये गये कि प्रस्तावित कार्यों के संबंध में समयबद्ध तरीके से किरायान्वयन की मोनेटरिंग के लिए पी.ई.आर.टी. चार्ट (PERT Chart) तैयार कर पेश किया जावे और प्रत्येक बैठक में कियान्वयन की स्थिति प्रस्तुत की जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: शहर के प्रमुख सडक मार्गों के नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के संबंध में।

बैठक में प्रमुख सडक मार्गों के नवीनीकरण, सुदृढीकरण एवं मरम्मत के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने बताया कि सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के 9, शहर विधानसभा के 28 व सूरसागर विधनसभा क्षेत्र के 11 इस प्रकार कुल 48 कार्यादेश राशि रूपये 17.49 करोड़ के जारी किये जा चुके हैं और कार्य प्रारम्भ कराया गया है। शेष कार्यों के लिए निविदा प्रकिया प्रगति पर है। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बताया कि गत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार जालोरीगेट से गोल बिल्डिंग तक सी.सी. सडक के पुनः निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के नवीनीकरण का कार्य 12वीं रोड चौराहा से प्रारम्भ किए जाने के लिये "वर्क डिजाईन" तैयार कर ली गयी है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

विचार विमर्श कर निर्देश दिये गये कि प्रमुख सडक मार्गों के क्षतिग्रस्त डिवाईडरों को ठीक करवाया जावे व डिवाईडरों पर लगी हुई जालियां आदि की भी मरम्मत की जावे। कतिपय

स्थान जैसे गौराधाय छतरी, पूरी तिराहे तक डिवाईडर में लगी जाली का रंग उतर चुका है तथा तत्काल मरम्मत की आवश्यक है। ऐसी जालियों पर पेंट व मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से 2–3 दिन में पूर्ण किये जाने के निर्देश नगर निगम को प्रदान किये गये। साथ ही यातायात में बाधक होडिग्स, बैनर एवं विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों को हटाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त यह भी निर्देश प्रदान किये कि प्रमुख चौराहों के विकास व स्लीप लैन हेतु जंक्शन इम्प्रुवमेंट एण्ड स्लीप लैन सुधार प्रस्तावित करने हेतु कमेटी का गठन निदेशक–अभियांत्रिक प्राधिकरण की अध्यक्षता में की जाकर प्रस्ताव तेयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये थे। निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय ने इसे गम्भीरता से लेते हुए आगामी बैठक से पूर्व हर हालत में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निदेशक–अभियांत्रिकी प्राधिकरण को निर्देश प्रदान किये।

प्रस्ताव संख्या 4 :: वर्षा जल निकासी व सीवरेज प्रणाली के सृदढीकरण बाबत।

गत बैठक में चिन्हित स्थान पर रोड साईड ड्रैनेज कार्य प्रारम्भ करने हेतु निदेशक–अभियांत्रिक को निर्देश प्रदान किये थे। इसी प्रकार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, आर्मी, एयरफोर्स आदि के अधिकारियों को नाला निकासी में अवरोध नहीं डालने के लिए उनसे सम्पर्क करने व अनुरोध करने के निर्देश दिये गये थे। निदेशक–अभियांत्रिक, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी।

बैठक में विचार विमर्श कर निदेशक–अभियांत्रिक, प्राधिकरण व अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम, जोधपुर को निर्देश प्रदान किये कि वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से उक्त संस्थाओं से सम्पर्क करें साथ ही चिन्हित स्थानों पर जल निकासी के लिए आवश्यक कार्यों की स्वीकृति व निविदा प्रकिया प्रारम्भ किया जाना अगली बैठक से पूर्व सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव संख्या 5 :: यातायात संकेतकों की स्थापना व कियान्वयन के संबंध में।

बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त एवं अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि सभी 16 स्थानों पर लगायी गयी ट्राफिक सिग्नल लाईट सुचारू रूप से कार्य कर रही है और ट्राफिक की स्थिति का अध्ययन कर टाईमर को तदनुरूप सेट किया जा रहा है। विचार विमर्श के उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त बैठक में दिये गये निर्देशानुसार ट्राफिक सिग्नल को सी.सी. टी.वी. कैमरे से जोडे जाने एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के संबंध में स्वयमेव चालान जैनरेट विकसित करने के संबंध में परिपूर्ण प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के संबंध में।

बैठक में चिन्हित पार्किंग स्थल की सफाई, लाईनिंग व मरम्मत कार्य कराये जाने की समीक्षा की गयी। विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यातायात पुलिस यह सुनिश्चित करें कि सडक के किनारे पार्किंग के लिए निर्धारित की गई जगह पर ही वाहनों की पार्किंग हो। पार्किंग के लिए लगायी गयी लाईनिंग के बाहर मुख्य सडक पर वाहन खडा पाये जाने की स्थिति में उन्हें नियमानुसार सीज/चालान संबंधी कार्यवाही की जावे। इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा गठित उडनदस्तों द्वारा की गयी कार्यवाही की नियमित मोनेटरिंग की जावे। बैठक में यह बिन्दु भी सामने आया कि प्रमुख ट्रैनों के आगमन व प्रस्थान के समय रेलवे स्टेशन के बाहर चौराहे पर एवं मुख्य सडक मार्ग पर भारी संख्या में ऑटो रिक्शा खडे रहते हैं। इसी प्रकार सहकार भवन के सामने व रेलवे बैंक के पास में अत्यधिक कारण टैक्सियां खडी रहती है।

विचार विमर्श के उपरान्त निर्देश दिये कि उक्त चिन्हित स्थलों पर निर्धारित संख्या से अधिक टैक्सियां खडी नहीं रहे एवं कार टैक्सी के लिए उक्त स्थानों पर खडे रहने के लिए अधिकतम समय की पाबंदी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को निर्देश प्रदान किये कि पार्किंग स्थलों की लाईनिंग व मरम्मत आदि के लिए वार्षिक अनुबन्ध के लिए निविदा कार्यवाही की जावे। निदेशक–अभियांत्रिक, प्राधिकरण एवं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी चिन्हित पार्किंग स्थलों का पुनः निरीक्षण करें और चिन्हित की गयी कमियों को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावें।

प्रस्ताव संख्या 7 :: वाहन प्रदूषण की जांच के संबंध में।

बैठक उपस्थित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने बताया कि आदिनांक तक जोधपुर शहर में 4680 ऑटो रिक्शा को टोकन जारी किया जा चुका है तथा 981 पुराने मॉडल कण्डीशन के डीजल ऑटो रिक्शाओं को एल.पी.जी. ऑटो रिक्शों को रिप्लेशमेंट किया गया है। दिनांक 1 अगस्त, 2012 से 22 नवम्बर, 2012 तक 1234 वाहनों की जांच कर 464 वाहनों को सीज किया गया है। यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से 29 नवम्बर, 2012 तक 84 वाहनों के विरूद्ध अभियोग बनाये गये। 19 वाहनों को सीज किया गया एवं प्रदूषणकारी 35 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

बैठक में विचार विमर्श कर निर्देश दिये कि परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस संयुक्त चैकिंग अभियान निरन्तर रखे और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार सीज किये जाने व चालान किये जाने की कार्यवाही की जावे।

बैठक में यह बिन्दु भी उठाया गया कि पोल्यूशन कण्ट्रौल सर्टिफिकेट जारी करने वाली अनेक निजी संस्थाएं सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। इस पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि अब सभी संस्थाओं ने कैमरे लगाये दिये गये और पोल्यूशन अण्डर कण्ट्रौल सर्टिफिकेट में संबंधित वाहन की पोल्यूशन सर्टिफिकेट का फोटो भी पी.यू.सी. सर्टिफिकेट को संलग्न किया जाता है। पूर्व में फोटो के बिना भी सर्टिफिकेट जारी किये जाने वाली 2 संस्थाओं के विरूद्ध लाईसेंस निलम्बित करने की कार्यवाही भी की गयी है।

बैठक में विचार विमर्श कर निर्देश दिये कि ऐसी संस्थाओं पर सख्त निगरानी रखी जावे एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही के साथ साथ नियमानुकूल अपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्रमुख सडक मार्गों पर आवारा पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित किये जाने के संबंध में।

बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य श्री लूणकरण पुरोहित, अधिवक्ता ने यह बिन्दु उठाया कि शहर के प्रमुख एवं व्यस्ततम सडक मार्ग जैसे पावटा चौराहा, नई सडक से सोजतीगेट, जालोरीगेट, दर्पण सिनेमा, घण्टाघर आदि स्थानों पर आवारा पशुओं का जमघट रहता है। इसके कारण सुगम यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है एवं दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने आवारा पशुओं को पकडे जाने की कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि माह नवम्बर, 2012 में 486 आवारा पशु पकडे गये हैं। आवारा पशु पकडे जाने पर बडे पशु के संबंध में 2,500/– रूपये एवं छोटे पशु जैसे बछडा, बछडी, बकरी आदि के संबंध में 1,200/– रूपये जुर्माना वसूल किया जाता है। माह नवम्बर, 2012 में 142 आवारा कुत्ते भी पकडे गये।

बैठक में विचार विमर्श कर निर्देश कि उक्त प्रमुख एवं व्यस्ततम सडक मार्ग पावटा से जालोरीगेट, घण्टाघर आदि स्थानों पर आवारा पशु पकडे जाने के अभियान को गति दी जावे। इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया कि आवारा पशु पकडे जाने के लिए नगर निगम ने 2 ट्रौले लगाये हैं जो निरन्तर आखलिया

चौराहा से महामंदिर एवं महामंदिर से आखलिया चौराहा तक भ्रमण करेंगे। उक्त आवारा पशु पकडे जाने के लिए सफाई निरीक्षक व सफाई कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी भी लगायी गयी है। इस पर विचार कर निर्देश प्रदान किये कि आवारा पशुओं को पकडे जाने के लिए ठेका पद्धति से कराया जाना एवं आवारा पशुओं की नीलामी के बिन्दु पर भी निगम विचार विमर्श कर निर्णय लेवे ताकि लगातार आवारा पशु छोडने की प्रवृति पर नियंत्रण रहेगी।

प्रस्ताव संख्या 9 :: सडक मार्ग, फुटपाथ, बरामदों में बाधक निर्माण हटाने एवं पार्किंग के लिए छोडी गयी जगह का समुचित उपयोग सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

बैठक में पार्किंग के लिए निर्धारित स्थानों पर अन्यथा उपयोग करने तथा पार्किंग का प्रावधान नहीं रखने वाले बहुमंजिला भवनों के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में इस संबंध में कठोर नियम बनाये हैं और पार्किंग का प्रावधान नहीं रखने वाले भवन मालिकों के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित की है। उक्त प्रावधानों का व्यापक रूप से उपयोग किया जावे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम ने बताया कि पार्किंग प्रावधानों की अवहेलना करने वाले बहुमंजिला भवनों के अद्यतन सर्वे का कार्य अन्तिम चरण में है और ऐसे भवन मालिकों के विरूद्ध नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। सीलिंग की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ की जावेगी।

बैठक में विचार विमर्श कर निर्देश प्रदान किये गये कि अनेक भवन मालिकों द्वारा पार्किंग के लिए निर्धारित स्थानों को पक्का कर ऊंचा बना दिया है जिससे वाहनों की ऊपर पार्किंग नहीं हो पाती और वाहन मालिकों को मुख्य सडक पर ही वाहन पार्किंग करना पडता है। व्यस्त सडक मार्गों की स्थित ऐसे स्थानों का चिन्हिकरण किया जावे और ऐसी चबूतरियों को तोडकर रैम्प बनाया जाकर वाहनों के निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग किये जाने की सुनिश्चितता की जावे। अधिशाषी अभियन्ता–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश प्रदान किये कि रोटरी चौराहा से 12वीं रोड चौराहा तक सडक के छोर पर बने नाले के ऊपर लगाये गये फैरो कवर सही ढंग से लगवाये जावे ताकि पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर वाहनों की पार्किंग किया जाना सम्भव हो सके और वाहन सडक पर खडे नहीं रहे। बैठक में आखलिया चौराहा से स्टेडियम सडक मार्ग पर सडक की निर्धारित चौडाई में आने वाले निर्माण को हटाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश भी उपायुक्त–पश्चिम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम को प्रदान किये गये। यदि कतिपय स्थानों पर निर्धारित चौडाई के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जानी है तो इसके लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे। यातायात में बाधक निर्माण आवश्यक रूप से हटाये जाने की सुनिश्चितता की जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: नो एण्ट्री/नो पार्किंग के संबंध में।

बैठक में विचार विमर्श कर निर्देश प्रदान किये कि समय समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार नो एण्ट्री की जो सडके निर्धारित है, उन सडकों पर नो एण्ट्री सुनिश्चित की जावे। इसी प्रकार नो–पार्किंग वाले स्थानों पर वाहन पार्क नहीं हो, यह सुनिश्चितता की जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2012 / 431-481 दिनांक :: 30 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर ।
2. महापौर, नगर निगम, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. श्री लूणकरण पुरोहित / श्री आर.एस. सलूजा, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
5. अतिरिक्त कलक्टर-शहर, जोधपुर
6. पुलिस उपायुक्त-पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय एवं यातायात / पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष / आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
14. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
15. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
16. जिला रसद अधिकारी, जोधपुर
17. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
18. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
19. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / जो.वि.वि.नि.लि, जोधपुर।
20. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा / जोधपुर
21. उप आवासन आयुक्त-प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
22. मुख्य नियंत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
23. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
24. निदेशक अभियांत्रिकी / आयोजना / विधि / वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
25. उपायुक्त-पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
26. कमाण्डर, 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, पावटा बी रोड, जोधपुर
27. अधिशाषी अभियन्ता-नगरवृत / विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
28. अधिशाषी अभियन्ता, ... (समस्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
29. नोडल अधिशाषी अभियन्ता ....
30. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
31. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
32. तहसीलदार, पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
33. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
34. श्री नवीन माथुर, प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर / मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर को उक्त कार्यवाही विवरण का अंकन वेब-साईट पर करने हेतु प्रेषित है।
35. --

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट–1

दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को अपरान्ह 4.30 बजे श्री रतन लाहोटी, जोधपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री रामजीवन मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
2.	श्री हरि प्रसाद पिपरलिया, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
3.	श्री लूणकरण पुरोहित, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
4.	श्री अशोक माथुर, अधिशाषी अभियन्ता (सी.डी.–I) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
5.	श्री कन्हैयालाल चौहान, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री के.के. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री जुगल किशोर पंवार, सचिव, जोधपुर ट्यूरिट बस ऑनर्स एसोसिएशन, जोधपुर
8.	श्री संजीव माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सिटी डिविजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
9.	श्री रामचन्द्र गुरनानी, प्रबन्धक (प्रशा.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10.	श्री करणी सिंह, सहायक आयुक्त पुलिस, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
11.	श्री जीवन खां, सहायक आयुक्त पुलिस, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
12.	श्री महेन्द्रसिंह यादव, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री नेमाराम परिहार, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
16.	श्री वी.के. वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
17.	श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर